प्रेस नोट सजा थाना जसराना दिनांक 19-12-2025 जनपद फिरोजाबाद ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना जसराना के मु0अ0सं0 73/2025 धारा 316(5)/318(4)/338/336(3)/340(2)/111 बीएनएस0 में मात्र 172 दिवस में 01 अभियुक्त जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास व 05 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं 05 अन्य अभियुक्तों 02.प्रवीन कुमार, 03.कुवंरपाल, 4.आकाश, 5.वीर बहादुर, 6.सुखदेव सिंह को 10-10 वर्ष के कारावास व 05-05 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया ।

घटना व मुकदमें का विवरण- आवेदक तरुण कुमार पुत्र स्व0 ओमेन्द्र सिंह नियुक्ति अंचल प्रमुख इंडियन बैंक अंचल कार्यालय आगरा द्वारा थाना जसराना पर तहरीर दी गयी कि पूर्व शाखा प्रबन्धक 01.राघवेन्द्र सिंह व 02.क्लर्क जयप्रकाश सिंह के द्वारा इंडियन बैंक शाखा जसराना में अपने पद पर रहते हुए जसराना शाखा से विभिन्न ग्राहको के खातों से धोखाधडी करते हुए अनुमानित कुल 1,85,97,900/- (01 करोड 85 लाख 97 हजार 09 सौ) रुपये से अधिक का गबन अपने पद का दुरुपयोग करके किया गया है । प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियुक्त राघवेन्द्र सिंह व जय प्रकाश सिंह के विरुद्ध दिनांक 27-03-2025 को मु0अ0सं0 73/2025 धारा 316(5)/318(4)/338/336(3)/340(2)/111 बीएनएस0 पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना व0उनि0 मुनेश कुमार के द्वारा की गयी विवेचना के दौरान बयान वादी, निरीक्षण घटना स्थल व स्टेटमेन्ट के अवलोकन आदि से नामित अभियुक्तगण के अतिरिक्त अन्य 08 अन्य अभियुक्तगण 01.आकाश, 02.वीरबहादुर, 03.प्रवीन कुमार, 04.कुवंरपाल, 05.रवीश, 06.सोमिल, 07.सुखदेव, 08.नीलेश उपरोक्त के नाम प्रकाश मे आये इसी क्रम में दिनाँक 31.03.2025 को अभियुक्तगण 01.जय प्रकाश सिंह, 02.आकाश, 03.वीरबहादुर, 04.प्रवीन व 05.कुंवरपाल को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार विवेचना तत्कालिक प्रभारी निरीक्षक श्री शेर सिंह के द्वारा ग्रहण कर संपादित की गयी विवेचना के दौरान प्रकाश मे आये अभियुक्त सुखदेव उपरोक्त को दिनांक 12-04-2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । नामित एवं प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 01.जयप्रकाश सिह, 02.आकाश, 03.वीरबहादुर, 04.प्रवीन कुमार, 05.कुवंरपाल, व 06.सुखदेव उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 19-06-2025 को 92 दिनों में आंशिक चार्जशीट मा0 न्यायालय दाखिल की गई । प्रकाश मे आये अन्य अभियुक्तगण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में विवेचना प्रचलित है ।

गिरफ्तारी का विवरण- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु एसओजी / सर्विलांस सहित कुल 02 पुलिस टीमों का गठन किया गया था। अभियुक्त जयप्रकाश , आकाश, वीरबहादुर , प्रवीन, कुंवरपाल को दिनांक 31-03-2025 को व अभियुक्त सुखदेव को दिनांक 12-04-2025 को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी। विवेचक तत्कालिक प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह द्वारा सम्पादित की गयी । विवेचना के क्रम में साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए अभियुक्तगण- 01.जयप्रकाश सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी शक्तिनगर थाना टूण्डला जनपद फिरोजाबाद को आजीवन कारावास की सजा व 05 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं 02.प्रवीन कुमार पुत्र कुंवरपाल निवासी ग्राम भेंडी थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद, 03.कुवंरपाल पुत्र नवाब सिंह निवासी मौहल्ला कोठीपुरा थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद, 04.आकाश पुत्र सहेन्द्र निवासी मौहल्ला कोठीपुरा थाना जसराना जनपद फिरोजाबाद, 05.वीर बहादुर पुत्र ओमप्रकाश निवासी शिवनगर कचहरी रोड थाना मैनपुरी कोतवाली जनपद मैनपुरी, 06.सुखदेव सिंह पुत्र छोटेलाल निवासी शक्तिनगर टूंडला थाना टूंडला जनपद फिरोजाबाद उपरोक्त को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा व 05-05 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

कार्यवाही/ सजा का विवरण- श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी जसराना के कुशल नेतृत्व में थाना जसराना पुलिस टीम व मॉनिटरिंग सेल द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी एवं ठोस साक्ष्य संकलन के फलस्वरूप आज दिनांक 19-12-2025 को मात्र 172 दिवस मे अभियुक्तगण- 1.जयप्रकाश सिंह को आजीवन कारावास की सजा व 05 लाख 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड एवं 02.प्रवीन कुमार पुत्र कुंवरपाल, 03.कुवंरपाल पुत्र नवाब सिंह, 04.आकाश पुत्र सहेन्द्र, 05.वीर बहादुर पुत्र ओमप्रकाश, 06.सुखदेव सिंह पुत्र छोटेलाल को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा व 05-05 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। सजा दिलाने में विवेचक तत्कालिक प्रभारी निरीक्षक शेर सिंह, अभियोजक श्री अवधेश शर्मा, पुलिस मॉनिटरिंग सेल और पैरोकार है0कां0 जगदीश तोमर की अहम भूमिका रही।